e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0059328529** Payment Date: **26/02/2022 15:26:55**

Office Name: **SUB REGISTRAR-I REGISTRATION & STAMPS, SANGANER**

Location: SANGANER

Period: 01/04/2021-To-31/03/2022

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	650.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: **650.00**

Six Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:			
Full Name: **UMESH SHRINGI ADV**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	JAIPUR(302020)
Address:KH NO 52/2 57/2 68 AND OTHER KHASRAS OF VILLAGE KISHOREPURA KANKRODA AND JAISINGHPURA KANKRODA JAIPU		Remarks:SEARCH	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063269367892602 2022**
Date:	26/02/2022 15:26:55	Refrence No:	**IK0BOCDKS4**

Computer generated copy on : ***26/02/2022*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

Umesh Shringi
Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur

Address :- 41, Pashupatinath Nagar,
Prabhudayal Marg, Jaipur-302033
Mob. No.:- 9460187103
E-mail :- adv.shringi@gmail.com

Dated: 24.02.2022

LEGAL TITLE REPORT

Name of the Project	:	Mahima's Windchimes
Land Owner Name	:	M/s. Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Developer's Name	:	M/s. Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Property address	:	Khasra No. 58/2, 57/2, 68, 69/1, 71, 71/136, 72, 74, 73/1, 87, 76/1, 78/1, 67, 58/140, 56/6 of Village Kishorpura Kankroda and at Khasra No. 44 (Shamilati. No. 45/1), 44 (Shamilati No. 45/2), 42/1 (Shamilati No. 43,48,49,53,54), 42/235 (Shamilati No. 43,48,49,53,54), of Village Jaisinghpura Kankroda, Tehsil Jaipur and District Jaipur, Rajasthan.

Legal Description :

M/s Mahima Real Estate Private Limited is in lawful possession of the land comprising of Khasra No. 58/2, 57/2, 68, 69/1, 71, 71/136, 72, 74, 73/1, 87, 76/1, 78/1, 67, 58/140, 56/6 of Village Kishorpura Kankroda and at Khasra No. 44 (Shamilati. No. 45/1), 44 (Shamilati No. 45/2), 42/1 (Shamilati No. 43,48,49,53,54), 42/235 (Shamilati No. 43,48,49,53,54), of Village Jaisinghpura Kankroda, Tehsil Jaipur and District Jaipur, Rajasthan with a total area admeasuring around 39 Bigha 10.83 Biswa or 100000 square meters (Hereinafter referred as Scheduled Land).

The Land was purchased by the M/s Mahima Real Estate Private Limited and has a legal title to the Land with legally valid documents and is lawful owner of the land. The Land was purchased through various Sale Deeds from various Khatedars. Thereafter Jaipur Development Authority, Jaipur completed the 90-A proceedings vide its order जविप्रा/उपा/जोन - 12/2018/डी 353 dated 23.03.2018 and amended order जविप्रा/उपा/जोन - 12/2018/डी 379 dated 03.12.2018.

Conclusion: The title of the above-named Developer i.e. M/s. Mahima Real Estate Pvt. Ltd. is free, clear and marketable.

Umesh Shringi
(Advocate, Rajasthan High Court)
R/580/2000

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी–5091 दिनांक 25-2-2022

मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्रा.लि.
जरिये मुख्त्यारआम श्री कपिल रायसिघांनि
पता क्रिस्टल पॉल, 4 फ्लोर, 22 गोदाम सर्किल,
सहकार मार्ग, जयपुर

विषय :– ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर के ख.नं. 58/2, 57/2, 68, 69/1, 71, 71/136, 72, 74, 73/1, 87, 76/1, 78/1, 67, 58/140, 56/6 एवं ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 44 शा.न. 45/1, 42/1 शा.न.–43,48,49,53,54, 42/235 शा.न.– 43,48,49,53,54, 44 शा.न. 45/2 कुल रकबा 39 बीघा 10.83 बिस्वा भूमि में अनुमोदित फार्म हाउस योजना ''महिमा विन्ड चाईम्स'' का मानचित्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के कम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर के ख.नं. 58/2, 57/2, 68, 69/1, 71, 71/136, 72, 74, 73/1, 87, 76/1, 78/1, 67, 58/140, 56/6 एवं ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 44 शा.न. 45/1, 42/1 शा.न. –43,48,49,53,54, 42/235 शा.न.– 43,48,49,53,54, 44 शा.न. 45/2 कुल रकबा 39 बीघा 10.83 बिस्वा भूमि में अनुमोदित फार्म हाउस योजना ''महिमा विन्ड चाईम्स'' का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 309वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 को किया चुका है। अनुमोदित मानचित्र रिकार्ड शाखा में डीआरजी नम्बर 978/बी दिनांक 25.02.2022 को दर्ज किया गया है। अतः अनुमोदित फार्म हाउस योजना के मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंग्न है।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

PROPOSED FARM-HOUSE LAY-OUT PLAN OF

" MAHIMA'S WINDCHIMES "

AT VILLAGE - JAISINGHPURA KANKRODA & KISHORPURA KANKRODA, TEHSIL - JAIPUR, DIST.- JAIPUR

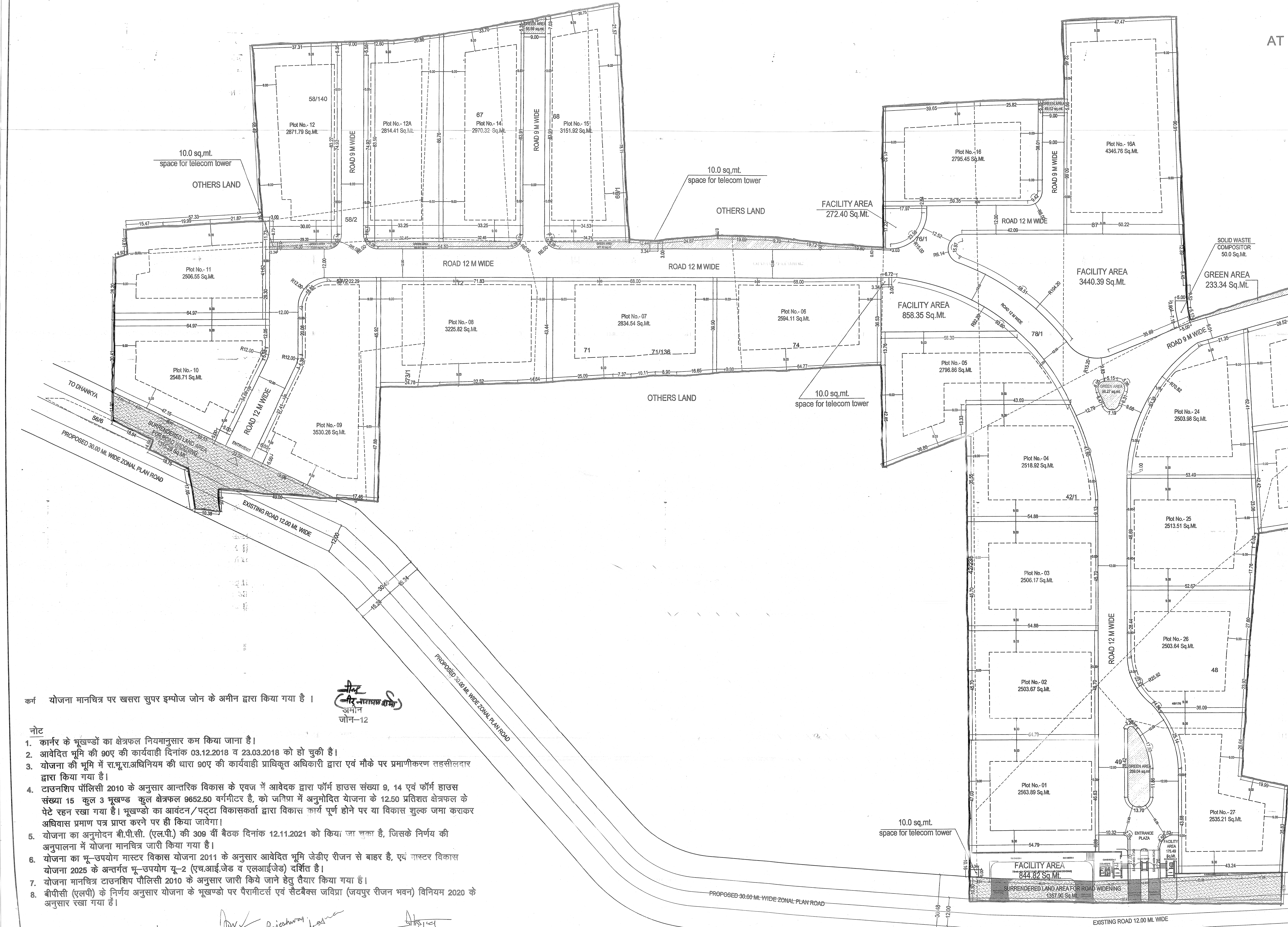

कर्ग योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है ।

अमीन
जोन–12

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 03.12.2018 व 23.03.2018 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा फॉर्म हाउस संख्या 9, 14 एवं फॉर्म हाउस संख्या 15 कुल 3 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 9652.50 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 309 वीं बैठक दिनांक 12.11.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार आवेदित भूमि जेडीए रीजन से बाहर है, एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू–उपयोग यू–2 (एच.आई.जेड व एलआईजेड) दर्शित है।
7. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
8. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया हैं।

सहायक नगर नियोजक जोन–12	तहसीलदार जोन–12	उपायुक्त जोन–12	वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

978
B
25.2.22

SITE PLAN

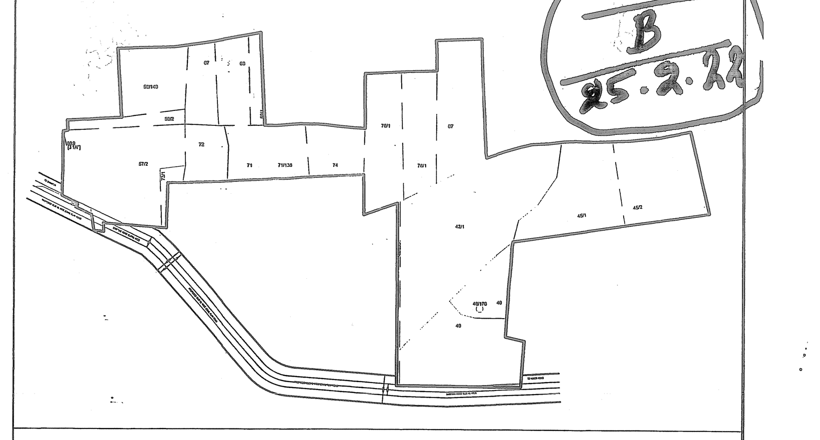

KEY PLAN :-

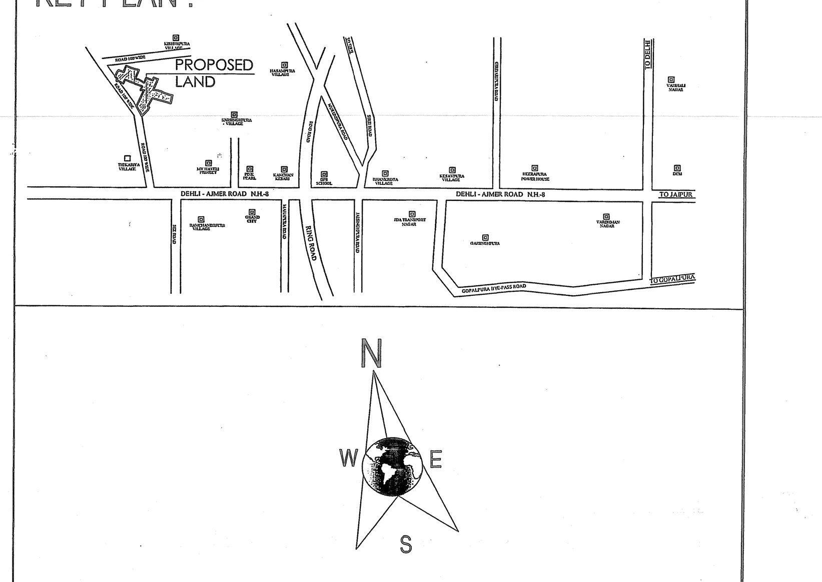

AREA CALCULATIONS :-

S.NO.	LAND USE	AREA IN SQ.MT.	(%)
	TOTAL LAND AREA = 100000 sq.mt.		
1	FARMHOUSE PLOTTED AREA	74813.36	74.81
2	GREEN AREA	1432.45	1.44
3	ROADS	15399.05	15.40
4	FACILITY	5591.96	5.59
5	ROAD 100' W	2673.18	2.67
6	SOLID WEST COMPOSITOR	50.0	0.050
7.	SPACE FOR TELECOM TOWER	40.0	0.040
	TOTAL	**100000.00**	**100.00**

M/S. MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

SCHEME NAME : " MAHIMA'S WINDCHIMES "
AT VILLAGE - JAISINGHPURA KANKRODA & KISHORPURA KANKRODA, TEHSIL - JAIPUR, DIST.- JAIPUR

ZONE NO. - 12

SCALE- 1:500

ARCHITECT :- m|a|architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

OWNER :-

For MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.
Authorised Signatory

ARCHITECT :-

A.T.P.	S.T.P.	A.C.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 277 और वर्ष 2016

मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये मुख्त्यारआम श्री कपिल रायसिंघानि
पता किस्टल पॉम, 4 फ्लोर, 22 गोदाम सर्किल, सहकार मार्ग,जयपुर

............आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करनें।

आदेश

दिनांक 23-3-18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा में	स्वामित्व
तहसील जयपुर जिला जयपुर	किशोरपुरा कांकरोदा	67	1 बीघा 3 बिस्वा	मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड रजि. कार्यालय 8, निखिल अपार्टमेन्ट 67, आर्दश नगर, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम श्री कपिल रायसिंघानि पता किस्टल पॉम, 4 फ्लोर, 22 गोदाम सर्किल, सहकार मार्ग,जयपुर
		58/140	1 बीघा 17 बिस्वा	
		56/6	2 बिस्वा	
		कुल किता 3	रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा	
	जयसिंहपुरा कांकरोदा	44 शा.न. 45/2	3 बीघा 5 बिस्वा	
		कुल किता 1	3 बीघा 5 बिस्वा	
		महायोग		
		कुल किता 4	कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह कि मैनें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदित खसरा नम्बरों में से खसरा नं. 56/6 रकबा 2 बिस्वा में से 1.17 बिस्वा भूमि को कम करते हुये 2 बिस्वा में से 0.83 बिस्वा भूमि का ही रूपान्तरण चाहा गया है।

(5) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि **ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** के ख.नं. 67 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 58/140 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 56/6 रकबा 2 बिस्वा में से 0.83 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 0.83 बिस्वा एवं **ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** के खसरा नम्बर 44 शा.न. 45/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 5.83 बिस्वा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **(आवासीय योजना)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा एवं ख.नं. 56/6 रकबा 2 बिस्वा में से 0.83 बिस्वा भूमि का तरमीमशुदा नक्शा सलंग्न है।

(6) **पूर्व में ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** के ख.नं. 58/2 रकबा 15 बिस्वा, 57/2 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 68 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 69/1 रकबा 13 बिस्वा, 71 रकबा 18 बिस्वा, 71/136 रकबा 18 बिस्वा, 72 रकबा 19 बिस्वा, 74 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 73/1 रकबा 10 बिस्वा, 87 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 76/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 78/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा एवं **ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** के खसरा नम्बर 44 शा.न. 45/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा 42/1 शा.न.–43,48,49,53,54 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 42/235 शा.न.– 43,48,49,53,54 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा इस प्रकार समस्त आवेदित भूमि कुल किता 15 एवं कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा की धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक 03.04.17 को की गई थी, जिसके साथ मिलाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(7) आवेदक द्वारा पूर्व में आवेदित भूमि का भी कुछ भाग मास्टर प्लान 2025 के अन्तर्गत जी–2 नदी दर्शित है परन्तु राजस्व रिकार्ड अनुसार व मौके पर नदी न होकर उक्त भूमि का स्वामित्व आवेदक के नाम है किस्म बंजड व बारानी–। है मौके पर नदी प्रस्तावित भूमि से लगभग 100 मीटर से अधिक दूर स्थित है। इस प्रकार के प्रकरणों हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की 61वीं बैठक दिनांक 13.10.2012 में लिये गये निर्णय के क्रम मे सचिव जेडीए द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.12.12 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार Topograhical error के संबंध में यदि मानचित्र (मास्टर प्लान 2025) में भौतिक परिदृश्य को अंकित करने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो वन विभाग की भूमि व वाटर वॉडिज को राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही माने जावे

(8) इस संबंध में प्रकरण बीपीसी (एलपी) की 143वीं बैठक दिनांक 11.03.2017 में लिये गये निर्णयानुसार जविप्रा द्वारा जारी दिनांक 12.12.2012 के आदेश के अनुरूप Topograhical error (in MDP-2025) मानते हुये राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का मानते हुये 90ए की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसकी अनुपालना में **ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** एवं **ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** की कुल किता 15 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि की 90ए निर्णय की कार्यवाही दिनांक 03.04.17 को निष्पादित कर उस पर योजना अनुमोदित की गयी थी । अतः उसी अनुरूप अब आवेदित खसरा नम्बरों पर भी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(9) उक्त भूमि **ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** एवं **ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** की कुल किता 15 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसकी 90ए निर्णय की कार्यवाही दिनांक 03.04.17 को निष्पादित कर उसपर योजना अनुमोदित की गयी थी में सम्मिलित करते हुये **कुल किता 19 कुल रकबा 39 बीघा 10.83 बिस्वा** में स्थित भूमि पर संशोधित योजना के अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी एवं पूर्व में अनुमोदित योजना के पेटे जारी मांग पत्र की राशि पर नियमानुसार ब्याज इत्यादि देय होगा।

(10) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(11) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

(12) यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.3.18 को पारित किया गया।

(राजकुमार सिंह)
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–12
जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.स. जविप्रा/उपा./जोन–12/2018/D-357 दिनांक 23-3-18

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. **सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**
2. **तहसीलदार, तहसील जयपुर** को पूर्वोक्त भूमि को **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर** के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर **सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी** को उसकी प्रति भेजने के लिए।

(राजकुमार सिंह)
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 277 वर्ष 2016

मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये मुख्त्यारआम श्री कपिल रायसिंघानि पता क्रिस्टल पॉम, 4 फ्लोर, 22 गोदाम सर्किल, सहकार मार्ग,जयपुर

................आवेदक

विषयः–राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करनें।

<u>संशोधित आदेश</u>

दिनांक 03-12-18

इस कार्यालय द्वारा मामला संख्या 277 सन् 2016 द्वारा क्रमांक 308 दिनांक 03.04.17 को **ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** के ख.नं. 58/2 रकबा 15 बिस्वा, 57/2 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 68 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 69/1 रकबा 13 बिस्वा, 71 रकबा 18 बिस्वा, 71/136 रकबा 18 बिस्वा, 72 रकबा 19 बिस्वा, 74 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 73/1 रकबा 10 बिस्वा, 87 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 76/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 78/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा एवं **ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर** के खसरा नम्बर 44 शा.न. 45/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 42/1 शा.न.–43,48,49,53,54 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा, 42/235 शा.न.–43,48,49,53,54 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा इस प्रकार समस्त आवेदित भूमि कुल किता 15 एवं कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा की 90ए मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन–3ए प्रयोजनार्थ की गई थी। उसके पश्चात् प्रकरण में जेडएलसी की कार्यवाही कर आयुक्त महोदय से अनुमोदन पश्चात् प्रकरण में दिनांक 02.11.2017 को मांग पत्र जारी किया जा चुका है।

आवेदक ने दिनांक 23.01.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए करने हेतु निवेदन किया।

आवेदक के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण वास्ते प्रयोजन परिवर्तन एवं बाद अनुमोदन संशोधित आदेश जारी करने लिए सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा गया, जहां से दिनांक 19.11.2018 को स्वीकृति प्राप्त हुई।

अतः अब उपर नामित आवेदक के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अधीन जारी पूर्व के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 03.04.2017 मामला संख्या 277/2017 में वर्णित निम्नांकित भूमि के रूपान्तरण का प्रयोजन उक्त आदेशों में अंकित **मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए** की बजाय **"आवासीय प्रयोजनार्थ"** किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, शेष समस्त शर्ते यथावत रहेगी।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा में	स्वामित्व
तहसील जयपुर जिला जयपुर	किशोरपुरा कांकरोदा	58/2	15 बिस्वा	मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
		57/2	4 बीघा 4 बिस्वा	
		68	1 बीघा 8 बिस्वा	
		69/1	13 बिस्वा	
		71	18 बिस्वा	
		71/136	18 बिस्वा	
		72	19 बिस्वा	
		74	1 बीघा 2 बिस्वा	
		73/1	10 बिस्वा	
		87	2 बीघा 15 बिस्वा	
		76/1	2 बीघा 4 बिस्वा	
		78/1	1 बीघा 19 बिस्वा	
		कुल किता 12	18 बीघा 5 बिस्वा	
	जयसिंहपुरा कांकरोदा	44 शा.न. 45/1	2 बीघा 14 बिस्वा	मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
		42/1 शा.न. 43,48,49,53,54	12 बीघा 1 बिस्वा	
		42/235 शा.न. 43,48,49,53,54	5 बिस्वा	
		कुल किता 3	कुल रकबा 15 बीघा	
		महायोग		
		कुल किता 15	कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा	

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 3·12·18 को पारित किया गया।

(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.स. जविप्रा/उपा./जोन–12/2018/D-379 दिनांक 03-12-18

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. **सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**
2. **तहसीलदार, तहसील जयपुर** को पूर्वोक्त भूमि को **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर** के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर **सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी** को उसकी प्रति भेजने के लिए।

(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर